Cms - 2022/131
एक सौ इकतीस

फर्द अहकाम
अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर
राधेश्याम ऊंचिंया **बनाम** विकास अधिकारी रुपवास
किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 43 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
6.6.2022	प्रार्थी / अपीलान्ट श्री राधेश्याम ऊंचिया गांव पो0 बन्शी बागरी, जिला भरतपुर ने आर टी आई के तहत यह अपील विकास अधिकारी, रुपवास खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में विकास अधिकारी, रुपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत विकास अधिकारी, रुपवास के खिलाफ यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत अधिकारी विकास अधिकारी, रुपवास के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित प्रधान, पंचायत समिति रुपवास को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार प्रधान, पंचायत समिति रुपवास को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज0)	